By-e mail

कार्यालय, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ (राज.)

क्रमांक/स्थापना/2014/ 8035 — 8106 दिनांक : 15 JUL 2014

:: विज्ञप्ति ::

चित्तौड़गढ़ न्यायक्षेत्र में वर्तमान में 43 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के रिक्त पदों पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैण्ड PB-1, 5200-20200, ग्रेड–पे 1700/– रूपये प्रतिमाह में राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–11(7)/एफडी(नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 के तहत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह पर बतौर प्रोबेशन ट्रेनी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999, के प्रावधानों के तहत भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तो एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते है। उक्त रिक्त पदों में 29 पद सामान्य श्रेणी, 03 पद अनुसूचित जाति, 04 पद अनुसूचित जनजाति एवं 07 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। उक्त आरक्षण में राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 2(5) कार्मिक/क–2/2004 दिनांक 20.12.12 के प्रावधानों अनुसार महिलाओं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा विशेष पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण प्रभावी होगा। उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है जिस पर रोस्टर नियमानुसार प्रभावी होगा। आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी सफल नहीं होने पर उस वर्ग को अन्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था./2013/12483 दिनांक 07.10.2013 से वर्ष 2013 में जारी की गई विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है जिससे पूर्व में प्राप्त सभी आवेदन निरस्त हो चुके है। अतः यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो उसे इस विज्ञप्ति हेतु नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रोबेशन ट्रेनी) के पद हेतु आवेदन करने वालों के लिये निम्नांकित आवश्यक योग्यतायें तथा शर्तें लागू होगी :–

1. **राष्ट्रीयता :**

   आवेदक भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के नियम 11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

2. **आयु :**

   आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलायें, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं एवं अन्य आरक्षित वर्गो को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

3. **शैक्षणिक योग्यता :**

   उक्त पद के लिये आवेदन करने वाले आवेदक को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने व लिखने का व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है।

4. **चरित्र :**

(i) आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। आवेदक अपने चरित्र के सम्बन्ध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जो कि उसके रिश्तेदार नहीं हो) के दो चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा एवं उक्त चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदक के आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह पूर्व के नहीं होने चाहिये।

(ii) प्रत्येक आवेदक आवेदन–पत्र के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि आवेदक के विरूद्ध कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित है तो आवेदक को उक्त मामले का विवरण शपथ–पत्र में अंकित करना होगा। **आवेदक उक्त घोषणा का संलग्न प्रारूप–01 में शपथ–पत्र 10/– के नोन ज्यूडिशियल स्टांप पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा।**

5. **शारीरिक योग्यता :**

आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक अथवा मानसिक दोष नहीं होना चाहिये, जो उसके इस पद के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और आवेदक को इस पद के लिये चयन होने पर उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. **संतान सम्बन्धी सूचना :**

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अनुसार ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, राज्य सेवा में इस पद की नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का घोषणा का **संलग्न प्रारूप–02 में शपथ–पत्र 10/– के नोन ज्यूडिशियल स्टांप पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।**

7. **विवाह पंजीयन :**

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख किया जावेगा एवं आवेदन पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे। **दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित आवेदक संलग्न प्रारूप–03 में शपथ पत्र 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।**

8. **<u>पेंशन योजना :</u>**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ15(7)एफडी(रूल्स)97 दिनांक 14.01.2004 तथा इस सम्बन्ध में तत्पश्चात् की गई समस्त संशोधनों के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेन्डेंड रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण सम्बन्धी सभी नये नियम प्रभावी/लागू होगें।

9. **<u>आवेदन पत्र :</u>**

आवेदक को आवेदन पत्र सादा कागज पर निर्धारित प्रारूप में सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होगें। उक्त के अलावा आवेदक को आवेदन पत्र पूर्ण भरकर हस्ताक्षरित करना होगा। आवेदन पत्र एवं शपथ–पत्रों का प्रारूप जिला एवं सेशन न्यायालय, चित्तौड़गढ़ के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

10. **<u>आवेदन पत्र की अंतिम तिथि :</u>**

आवेदन पत्र दिनांक **07.08.2014 को कार्यालय समय (सांय 05.00 बजे तक)** इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं अथवा डाक से इस कार्यालय में प्रेषित किये जा सकते है। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस विज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व में प्राप्त एवं विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा। इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा।

11. **<u>साक्षात्कार :</u>**

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जिन आवेदकों के आवेदन पत्र बाद जांच सही पाये जावेगें उन आवेदकों की सूची जिला एवं सेशन न्यायालय, चित्तौड़गढ़ के नोटिस बोर्ड पर **<u>दिनांक 18.08.2014</u>** को चस्पा कर दी जावेगी जिसमें साक्षात्कार की दिनांक एवं समय अंकित किया जावेगा। साक्षात्कार के सम्बन्ध में पृथक से कोई सूचना आवेदक को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं की जावेगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। **उपरोक्त साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि एक दिवस पूर्व जिला एवं सेशन न्यायालय, चित्तौड़गढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी और इसकी जानकारी करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी तथा उक्त बाबत् आवेदक को इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।**

12. **<u>आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि व शपथ –पत्र संलग्न किये जाने चाहिये :</u>**

(1) जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
(2) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
(3) अन्य कोई दक्षता/योग्यता/अनुभव हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
(4) आरक्षण सम्बन्धी/आयु सीमा में छूट चाहने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि।

(5) विधवा महिला के पति की मृत्यु बाबत सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण–पत्र एवं तलाकशुदा महिला के विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय से पारित विवाह विच्छेद की डिक्री अथवा प्रमाण–पत्र।

(6) छह माह की अवधि के अन्दर के दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जो आवेदक के रिश्तेदार नहीं हो) के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

(7) दोषसिद्धी नहीं होने के बारें में आवेदन पत्र के साथ **संलग्न प्रारूप–01 में शपथ पत्र।**

(8) विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने बाबत् आवेदन पत्र के साथ **संलग्न प्रारूप–02 में शपथ पत्र।**

(9) विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा आवेदन पत्र के साथ **संलग्न प्रारूप–03 में शपथ–पत्र।**

(10) विवाहित अभ्यर्थी द्वारा विवाह के समय अथवा उसके पश्चात दहेज स्वीकार नहीं किये जाने तथा अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा विवाह किये जाने पर दहेज स्वीकार नहीं किये जाने के संबध में आवेदन पत्र के साथ **संलग्न प्रारूप–04 में शपथ पत्र।**

(11) आवेदक के जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण–पत्र (यदि हो) की सत्य प्रतिलिपि।

(12) स्वयं का पता लिखा हुआ एवं 05/– रूपये का डाक–टिकिट लगा एक लिफाफा।

नोट : **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे उपरोक्त प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि की सूची आवेदक को अपने स्वयं के हाथ से आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी एव इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होगें।**

13 <u>अन्य :</u>

(1) आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की गई है; उन सभी के मूल प्रमाण पत्रों को आवेदक को साक्षात्कार के समय साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

(3) कोई भी पुरूष या महिला आवेदक जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

(4) ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेख, सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी किया गया है, वो इस पद की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(5) उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थाई है।

(6) उपरोक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथियों में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा।

-----Sd-----
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/स्थापना/2014/ 8036—8186 दिनांक : 15 JUL 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
02. श्री निजी सचिव, माननीय निरीक्षण न्यायाधिपति महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
03. जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर/अलवर/बांसवाड़ा/बारां/बालोतरा/भरतपुर/भीलवाड़ा/बीकानेर/बून्दी/कोटा/चूरू/दौसा/धौलपुर/डूंगरपुर/गंगानगर/हुनमानगढ़/जयपुर महानगर/जयपुर जिला/जालौर/झून्झूनु/झालावाड़/जोधपुर महानगर/जोधपुर जिला/जैसलमेर/करौली/मेड़ता/पाली/प्रतापगढ़/राजसमन्द/सवाईमाधोपुर/सीकर/सिरोही/टोंक/ उदयपुर
04. श्रीमान जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
05. विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, स.1/2, चित्तौड़गढ़
06. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चित्तौड़गढ़
07. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, चित्तौड़गढ़
08. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (सं.–1/सं.–2/सं.–3) चित्तौडगढ/निम्बाहेडा
09. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
10. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (सं.–1/सं.–2,चित्तौडगढ)/(सं.–1/सं.–2,निम्बाहेडा)/बडीसादडी/कपासन/ बेगूं
11. सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ/निम्बाहेडा/बडीसादडी/मंडफिया/डूंगला/कपासन/बेगूं/रावतभाटा/राशमी/गंगरार
12. अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
13. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चित्तौड़गढ़/भदेसर
14. जिला नियोजन अधिकारी, चित्तौड़गढ़
15. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, चित्तौडगढ
16. जिला समाज कल्याण अधिकारी, चित्तौड़गढ़
17. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय, चित्तौड़गढ़
18. गार्ड/संबंधित पत्रावली

15.7.14

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़

आवेदक का हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

01	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	:	
02	पिता का नाम	:	
03	विवाहित होने पर पति/पत्नि का नाम	:	
04	जाति	:	
05	आरक्षित वर्ग का नाम (यदि हो)	:	
06	स्थाई निवास का पता	:	
07	वर्तमान निवास का पता	:	
08	निकटतम पुलिस स्टेशन	:	
09	मोबाईल/दूरभाष नं.	:	
10	जन्म तिथि (अंको में)	:	/ /
	(शब्दो में)	:	
11	दिनांक 01.01.2015 को आयु	:	..................वर्ष.................माह......................दिन
12	शैक्षणिक योग्यता	:	
13	वर्तमान नियुक्ति (यदि कोई हो) पद, सेवा की अवधि एवं पदनाम	:	
14	अग्रेषण अधिकारी का नाम, पदनाम, यदि आवेदक पूर्व में सेवारत है	:	
15	राष्ट्रीयता	:	
16	नियोजन कार्यालय का पंजीयन क्रमांक व इसकी वैद्यता(यदि हो)	:	
17	अन्य योग्यता/अनुभव(यदि हो)	:	

स्थान :

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

मैं..सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है।

स्थान :

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

नोट : आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि की सूची आवेदक स्वयं अपने हाथ से आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार अंकित कर अंत में हस्ताक्षर करें।

प्रारूप–01

दोषसिद्धि के संबध में घोषणा का शपथ–पत्र

(दस रूपये के नॉन – ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से तस्दीक किया हुआ)

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......................................

जाति...............................उम्र.............................वर्ष निवासी...

....जिला...

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :

01. यह कि मुझे भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र भरे जाने तक दण्डित नहीं किया गया है।

अथवा

मुझे न्यायालय.. द्वारा प्रकरण संख्या.. में दिनांक.............................. को दण्डित किया गया है।

02. यह कि मेरे विरूद्व भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

अथवा

मेरे विरूद्व न्यायालय.. में प्रकरण संख्या............................. विचाराधीन है।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

:: सत्यापन ::

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......................................

जाति...............................उम्र.............................वर्ष निवासी...

....जिला...

शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

प्रारूप–02

संतान के सम्बन्ध में घोषणा का शपथ–पत्र

(दस रुपये के नॉन – ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से तस्दीक किया हुआ)

मैं,.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

जाति..............................उम्र............................वर्ष निवासी..

....जिला..

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं,.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

जाति..............................उम्र............................वर्ष निवासी..

....जिला..

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मै अभी अविवाहित हूँ तथा भविष्य में विवाह करने पर दो से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान :

दिनांक : शपथ ग्रहिता

:: सत्यापन ::

मैं,.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

जाति..............................उम्र............................वर्ष निवासी..

....जिला..

शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

दिनांक : शपथ ग्रहिता

प्रारूप–03

विवाह के सम्बन्ध में घोषणा का शपथ–पत्र

(दस रुपये के नॉन – ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से तस्दीक किया हुआ)

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...................................
.... जाति............................उम्र............................वर्ष निवासी.............
...जिला..
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :

मेरा विवाह श्रीमती/श्री ....निवासी ....के साथ सम्पन्न हुआ था, परन्तु उक्त विवाह अनिवार्य विवाह पंजीकरण लागू होने से पूर्व दिनांक..................................को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री ....निवासी ....के साथ दिनांक........................को राजस्थान के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूँ। भविष्य में विवाह होने पर दो से अधिक संतान उत्पन्न नही करूँगा/करूँगी।

या

मै .... विधुर/विधवा हूँ (मेरे/मेरी, पति/पत्नि का नाम श्री/श्रीमती...था)

या

मैं.. तलाकशुदा हूँ। (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक......................... को सम्पन्न हुआ था।

:: सत्यापन ::

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..
जाति.........................उम्र........................वर्ष निवासी...
....जिला...................................शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

प्रारूप–04

दहेज स्वीकार नहीं करने के संबध में घोषणा का शपथ–पत्र

(दस रूपये के नॉन – ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से तस्दीक किया हुआ)

विवाहित के लिये

मैं,.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री......................................
जाति.............................उम्र...........................वर्ष निवासी..
....जिला...................................
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :

01. मेरा विवाह श्री/सुश्री...
निवासी..
के साथ दिनांक...........................को सम्पन्न हुआ था।

02. मेरे द्वारा विवाह के समय तथा विवाह के पश्चात आज तक किसी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं किया गया है एवं ना ही प्रदान किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

अविवाहित के लिये

मैं,.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री......................................

जाति.............................उम्र...........................वर्ष निवासी..

....जिला...................................

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा जब भी विवाह किया जावेगा, मैं किसी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं करूंगा/करूंगी एव ना ही दहेज प्रदान करूंगा/करूंगी।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

:: सत्यापन ::

मैं,.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री......................................

जाति.............................उम्र...........................वर्ष निवासी..

....जिला...................................

शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता